न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 10 / 2024

1. गुरुप्रसाद पाठक पुत्र श्री श्यामलाल पाठक जाति ब्राह्मण निवासी [illegible] गुरुद्वारा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

वादी

बनाम

1. गुरुदयाल सिंह पुत्र श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
2. ज्ञानसिंह पुत्र श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
3. परमजीत कौर पुत्री श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
4. प्रीतमसिंह पुत्र श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
5. बलविन्दर कौर पुत्री श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
6. बलिहारी सिंह श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
7. हरजीत कौर पुत्री श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
8. प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर बहैसियत लैण्ड होल्डर

.....................................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 01.10.2024

वादी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 22.03.2024 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो दिनांक 05.07.2024 को बाद तहकीकात दावा प्रांरम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 579 दिनांक 02.09.2024 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए प्राप्त विभाजन प्रस्तावों पर वकील वादी की बहस सुनी गई, वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। वकील वादी विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर (राज.)

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 472 रकवा 0.4805 हैक्टेयर, बाके ग्राम नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा
1. गुरूप्रसाद पाठक पुत्र श्यामलाल पाठक हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. पठियाल बाग गुरूद्वारा धौलपुर	427 / 1	0.2576 है0 पूर्व दिशा नहरी दोयम
2 गुरूदयालसिंह पुत्र करनेलसिंह हि0 293 / 2229, ज्ञानसिंह पुत्र करनेलसिंह हि0 749 / 2229, राहिन हि0 749 / 2229 पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर, प्रीतमसिंह पुत्र करनेलसिंह हि0 83 / 743, बलिहारसिंह पुत्र करनेलसिंह हि0 749 / 2229, परमजीतकौर, हरजीतकौर, बलविन्दरकौर पुत्रियान करनेलसिंह हि0 बराबर 63 / 743 जाति जाट सिक्ख सा0 बसई सामन्ता खा0	427 / 2	0.2229 है0 पश्चिम दिशा नहरी दोयम

कुल किता 02 कुल रकवा 0.4805 हैक्टेयर बाके ग्राम नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 01.44 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बैंकों के राहिन के इन्द्राज बदस्तूर रखे जावे। विवादित आराजी के कुल लगान 01 रूपये 44 पैसे के बीस गुना राशि पर देय मुद्रांक कर 02 रूपये 88 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 01.10.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

कार्यालय कोषाधिकारी
धौलपुर (राजस्थान)

SPECIAL ADHESIVE

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

ज अदालत : सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर

इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

करण संख्या : 10 / 2024

1. गुरुप्रसाद पाठक पुत्र श्री श्यामलाल पाठक जाति ब्राह्मण निवासी पटियाला बाग गुरुद्वारा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर .... वादी

बनाम

1. गुरुदयाल सिंह पुत्र श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
2. ज्ञानसिंह पुत्र श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
3. परमजीत कौर पुत्री श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
4. प्रीतमसिंह पुत्र श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
5. बलविन्दर कौर पुत्री श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
6. बलिहारी सिंह श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
7. हरजीत कौर पुत्री श्री करनेल सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
8. प्रबंधक महोदय पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर बहैसियत लैण्ड होल्डर

..................................प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट वास्ते बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ भारती भारद्वाज (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री नेमीचंद रावत एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई एवं श्री ++++ एडवोकेट मिनजानिब मुदयालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी स्थिति ग्राम नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक– पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1. गुरुप्रसाद पाठक पुत्र श्यामलाल पाठक हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. पठियाल बाग गुरूद्वारा धौलपुर	427 / 1	0.2576 है0 पूर्व दिशा नहरी कायम
2. गुरूदयालसिंह पुत्र करनेलसिंह हि0 293 / 2229, ज्ञानसिंह पुत्र करनेलसिंह हि0 749 / 2229, राहिन हि0 749 / 2229 पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर, प्रीतमसिंह पुत्र करनेलसिंह हि0 83 / 743, बलिहारसिंह पुत्र करनेलसिंह हि0 749 / 2229, परमजीतकौर, हरजीतकौर, बलविन्दरकौर पुत्रियान करनेलसिंह हि0 बराबर 63 / 743 जाति जाट सिक्ख सा0 बसई सामन्ता खा0	427 / 2	0.2229 है0 पश्चिम दिशा नहरी कायम

कुल किता 02 कुल रकवा 0.4805 हैक्टेयर बाकै ग्राम नरपुरा तहसील व जिला धौलपुर कुल लगान 01.44 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक– पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है, तथा बैंक के राहिन बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 01.10.2024 के संदर्भ में आज दिनांक 08.10.2024 को जारी की गई।

(डॉ साधना शर्मा)
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर